न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 20/2018

1 कालुराम आयु 70 वर्ष पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी आबुसर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक सरदाराराम पुत्र चोखाराम।
1/1 रामा देवी स्त्री सरदाराराम।
1/2 रघुवीर पुत्र सरदाराराम।
1/3 नरेश पुत्र सरदाराराम।
1/4 सत्यप्रकाश पुत्र सरदाराराम।
2 मृतक पीथाराम पुत्र भानाराम ।
2/1 श्रीमती पतासी स्त्री पीथाराम।
2/2 जितेन्द्र पुत्र पीथाराम।
2/3 दिनेश पुत्र पीथाराम।
3 रामरख पुत्र चोखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण आबुसर तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
5 उप पंजियक झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी सरदाराराम बनाम मृतक पीथाराम मुकदमा नम्बर 196/2013 दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 196/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 330 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.10 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम आबुसर तहसील झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 सरदाराराम ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अदालत मातहत ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 12.03.2016 को डिक्री कर दिया जिसमें अपीलांट प्रभावित है। इस कारण अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 330 व 331 पैत्रिक जमीन है। जिसमें अपीलांट आज से करीब 50 वर्ष पुर्व से पुख्ता रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। रेस्पोडेंट रामरख व सरदारा के वारिस उक्त जमीन में रिहायश नहीं करते है व ना ही काबिज काश्त है। सरदाराराम के वारीस व रामरख ग्राम आबुसर में अन्य जगह रिहायश करते है। अदालत मातहत के समक्ष सरदाराराम ने बिना कब्जा काश्त के आधार पर वाद पत्र पेश कर अपीलांट व श्योनाथ को बिना पक्षकार बनाये पीथाराम के वारिसान से दुरभि सन्धी कर आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। अदालत मातहत के समक्ष पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता चौधरी की अदालत का अभिभाषक संघ झुंझुनू ने बहिष्कार कर रखा था। अपीलांट का विवादित जमीन में 1/8 भाग पर वर्षो से आपसी सहुलियत से रिहायश करता है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में विवादित जमीन के समस्त राजस्व रिकार्ड की कोई जांच नहीं की व मौके पर कब्जे बाबत भी कोई जांच नही की इस कारण आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस खारिज होने योग्य है। जमीन हाल खसरा नम्बर 330,331 में अपीलांट का 1/8 हक हिस्सा है। अपीलांट विवादित जमीन में करीब 50 वर्षो से पुख्ता मकान बनाकर रिहायशी करता है। अदालत मातहत के समक्ष वादी सरदाराराम व प्रतिवादी रामरख अपीलांट के सगे भाई है। अपीलांट व उसका भाई श्योनाथ अदालत मातहत के समक्ष वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार थे। लेकिन वादी मृतक सरदाराराम ने अपीलांट व उसके भाई श्योनाथ को वाद पत्र में जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर मृतक सरदाराराम ने मृतक पीथाराम के रेस्पोडेंट वारिसान के अपीलांट को नुकसान कारित करने के लिये आपस में दुरभि सन्धी कर अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करवायी है। जिससे अपीलांट प्रभावित है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट वाद पत्र में पक्षकार नहीं था। इस कारण अपीलांट को आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस की माननीय न्यायालय में इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। इजाजत के लिये मौजुदा अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। विलम्ब को क्षमा करने के लिये धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
(राजस्थान)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जमीन तत्कालीन ठिकाना नवलगढ़ की जमीन थी तत्कालीन ठिकाना में से उक्त जमीन 1/2 हिस्से की जमीन लगान के बदले काश्त हेतु चौखा पुत्र मंगला ने ली थी व 1/2 हिस्से की जमीन भाना पुत्र सुखा की थी। उक्त चौखा के चार पुत्र क्रमशः कालूराम, सरदाराराम, रामरख, श्योनाथ हुए। जिनमे से सरदाराराम व श्योनाथ फौत हो चुके है तथा उक्त कालूराम को श्री हरदेवाराम ने सन् 1958 मे हिन्दु धार्मिक व सामाजिक रिति रिवाजो के अनुसार उसकी माता की आज्ञा से गौद कर अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। जो कि श्री हरदेवाराम द्वारा अपने दत्तक पुत्र कालूराम के हक मे किये गये दान पत्र के पैरा नम्बर 02 में यह स्पष्ट अंकित है कि यह कि मै अविवाहित हूं मैने अपने चाचा के लड़के श्री कालूराम पुत्र चौखाराम जाट निवासी आबुसर को लगभग 10 वर्ष पहले हिन्दु धार्मिक एवं सामाजिक रिति तथा बिरादकी के अमल दरामद के अनुसार उसकी माता की आज्ञा से गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया था तब से कालूराम उपरोक्त मेरी सेवा करता है और मुझे कालूराम उपरोक्त से अत्यधिक प्रेम है अतः मैने अपने प्रेम के नाते बिना किसी मुआवजे के कालूराम की खिदमत व सेवा से खुश होकर अपनी खातेदारी व खुद काश्त की जमीन खसरा नम्बर 147 तादादी 15 बीघा पुख्ता उपर वर्णित धारा 01 के समस्त अधिकार खातेदारी, काश्तकारी श्री कालूराम उपरोक्त को दान कर दिया। दिनांक 01.06.1968 वार शनिवार उप पंजियक कार्यालय झुंझुनू मे गवाहान श्री रामकुमार पुत्र झाबरमल जाति जाट उम्र 46 वर्ष पेशा खेती निवासी आबुसर व श्री चूनाराम पुत्र डालूराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी आबुसर की मौजुदगी मे कालूराम ने को हरदेवाराम को अपना दत्तक पिता मानते हुए उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा उपहार स्वरूप दी गई उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 147 तादादी 15 बीघा पुख्ता को हरदेवाराम दत्तक पुत्र कालूराम के रूप से ग्रहण किया था। इस प्रकार कालूराम दत्तक पुत्र हरदेवाराम होने के कारण चौखा के हिस्से मे से कालूराम का स्वतः ही कोई हक हिस्सा नही बनता है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.02.2016 से अपीलांट प्रभावित नही है क्योंकि वह हरदेवाराम का दत्तक पुत्र है और हरदेवाराम का अपीलांट के कथनानुसार उक्त जमीन मे उक्त प्रकार से कोई हक हिस्सा नही है। इस प्रकार अपीलांट विवादित भूमि में अपना हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

हिस्सा/कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार नही होने के कारण अपील अपीलांट धारा 96 सीपीसी पर ही खारिज की जाने योग्य है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन तत्कालीन ठिकाना नवलगढ़ की जमीन थी तत्कालीन ठिकाना में से उक्त जमीन 1/2 हिस्से की जमीन लगान के बदले काश्त हेतु चौखा पुत्र मंगला ने ली थी व 1/2 हिस्से की जमीन भाना पुत्र सुखा की थी। उक्त चौखा के चार पुत्र क्रमशः कालूराम, सरदाराराम, रामरख, श्योनाथ हुए। जिनमे से सरदाराराम व श्योनाथ फौत हो चुके है तथा उक्त कालूराम को श्री हरदेवाराम ने सन् 1958 मे हिन्दु धार्मिक व सामाजिक रिति रिवाजो के अनुसार उसकी माता की आज्ञा से गौद कर अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। जो कि श्री हरदेवाराम द्वारा अपने दत्तक पुत्र कालूराम के हक मे किए गए दान पत्र के पैरा नम्बर 02 में यह स्पष्ट अंकित है कि यह कि मै अविवाहित हूं मैने अपने चाचा के लड़के श्री कालूराम पुत्र चौखाराम जाट निवासी आबुसर को लगभग 10 वर्ष पहले हिन्दु धार्मिक एवं सामाजिक रिति तथा बिरादकी के अमल दरामद के अनुसार उसकी माता की आज्ञा से गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया था तब से कालूराम उपरोक्त मेरी सेवा करता है और मुझे कालूराम उपरोक्त से अत्यधिक प्रेम है अतः मैने अपने प्रेम के नाते बिना किसी मुआवजे के कालूराम की खिदमत व सेवा से खुश होकर अपनी खातेदारी व खुद काश्त की जमीन खसरा नम्बर 147 तादादी 15 बीघा पुख्ता उपर वर्णित धारा 01 के समस्त अधिकार खातेदारी, काश्तकारी श्री कालूराम उपरोक्त को दान कर दिया। दिनांक 01.06.1968 वार शनिवार उप पंजियक कार्यालय झुंझुनू मे गवाहान श्री रामकुमार पुत्र झाबरमल जाति जाट उम्र 46 वर्ष पेशा खेती निवासी आबुसर व श्री चूनाराम पुत्र डालूराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी आबुसर की मौजुदगी मे कालूराम ने को हरदेवाराम को अपना दत्तक पिता मानते हुए उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा उपहार स्वरूप दी गई उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 147 तादादी 15 बीघा पुख्ता को हरदेवाराम दत्तक पुत्र कालूराम के रूप से ग्रहण किया था। इस प्रकार कालूराम दत्तक पुत्र हरदेवाराम होने के कारण चौखा के हिस्से मे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

से कालूराम का स्वतः ही कोई हक हिस्सा नही बनता है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.02.2016 से अपीलांट प्रभावित नही है क्योंकि वह हरदेवाराम का दत्तक पुत्र है और हरदेवाराम का अपीलांट के कथनानुसार उक्त जमीन मे उक्त प्रकार से कोई हक हिस्सा नही है। इस प्रकार अपीलांट विवादित भूमि में अपना हक हिस्सा/कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार नही होने के कारण अपील अपीलांट धारा 96 सीपीसी पर ही खारिज की जाने योग्य है चूकि अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित नही है अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 भी स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो अपने हितो की उद्घोषणा हेतु नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सूबीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर